

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर-332001

ई-मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572-245057

क्रमांक:- नविन्यास/नियमन/2024-25/00580

दिनांक:- 16.12.2024

प्रेषिती:-

1. मुरारी लाल सराफ पुत्र श्री सीताराम सराफ जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 1, पिपराली सीकर।
2. प्रमोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल जाति महाजन निवासी एल-501 जोली रेजीडेन्सी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास सुरत गुजरात

विषय:- राजस्व ग्राम दादली तह. सीकर के खसरा नम्बर 899/648 रकबा 0.6000 है. खसरा नं. 901/648 रकबा 0.5040 है. व खसरा नं. 903/646 रकबा 0.6200 है. कुल रकबा 17240.00 वर्गमीटर भूमि में विकास नगर आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम दादली तह. सीकर के खसरा नम्बर 899/648 रकबा 0.6000 है. खसरा नं. 901/648 रकबा 0.5040 है. व खसरा नं. 903/646 रकबा 0.6200 है. कुल रकबा 17240.00 वर्गमीटर भूमि में विकास नगर आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अध्वधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
 2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनीकीविद की देख-रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों ओर सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
 3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होंगे तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
 4. वाटर ड्रेनेज, ओवर हैड टैंक एवं सीवरेज लाईन हेतु राशि न्यास कोष में जमा करवाई गई है।
 5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
 6. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
 7. भू-खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू-खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
 8. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
 9. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 15, 16, 31, 46, 47, 48, 49, 61, 62 व 76 कुल भू-खण्ड-10) भू-खण्डों का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
 10. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allottees).
 11. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाइन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
 12. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए. वि. वि. एन. एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।
- संलग्न:- अनुमोदित योजना मानचित्र।

(जगदीश प्रसाद गौड़)

RajKaj Ref
12464627

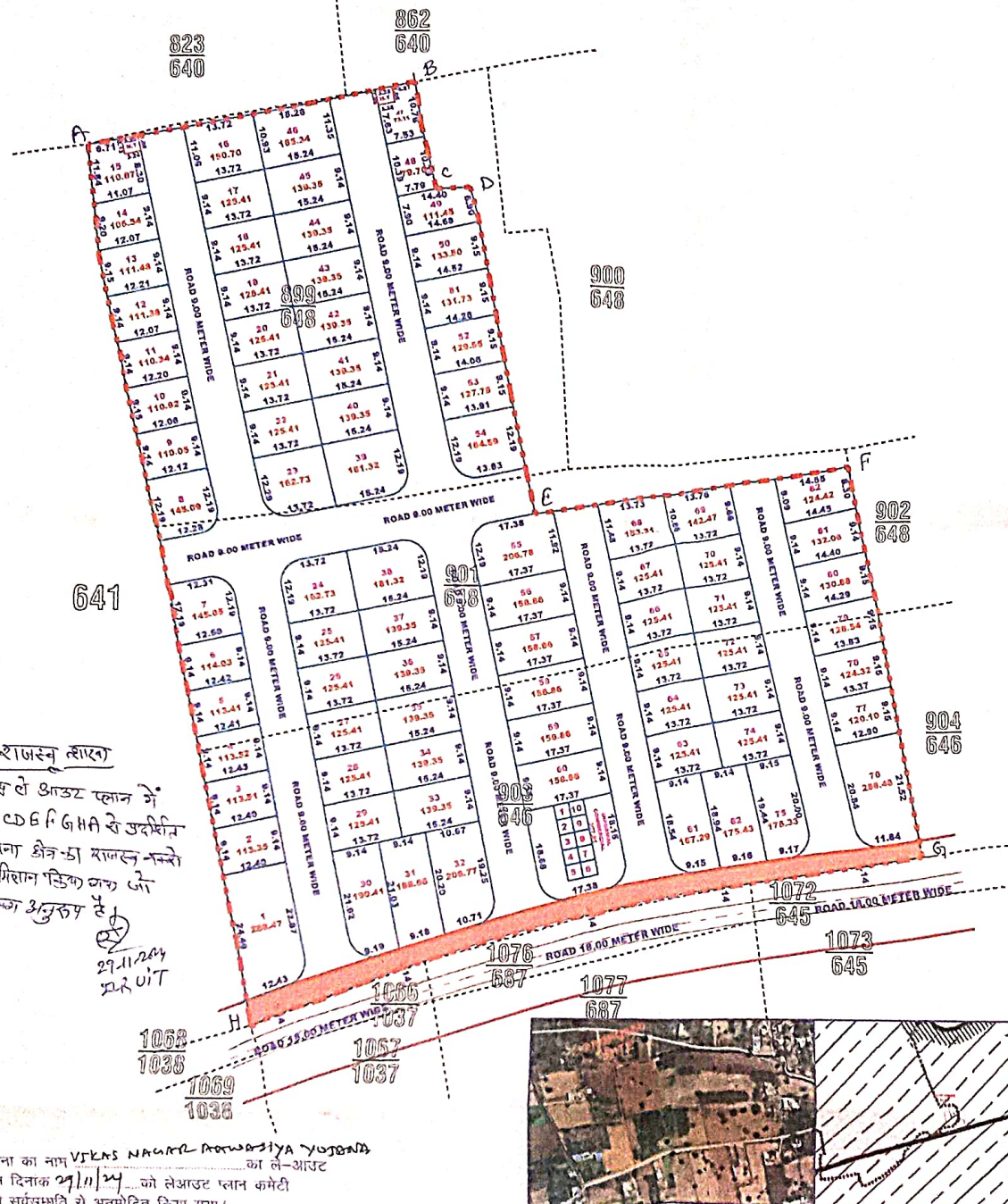


सचिव
नगर विकास न्यास, सीकर
Signature valid

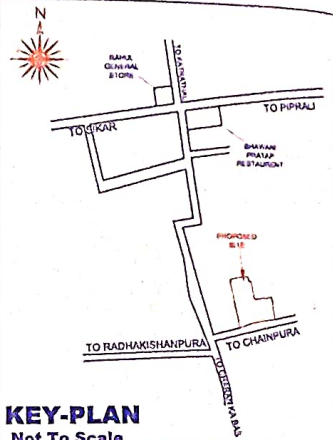
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Designation : Secretary
Date: 2024.12.16 17:09:57 IST
Reason: Approved

"VIKAS NAGAR AAWASIYA YOJANA"

LAYOUT PLAN OF KHASRA NO.- 899 901 803 CHAINPURA, SIKAR
REVENUE VILL. - DADLI, TEH. & DIST. SIKAR (RAJ.)
FOR- 90A RESIDENTIAL SCHEME
APPLICANT:- 1. PRAMOD KUMAR AGARWAL S/O SITA RAM AGARWAL
2. MURARI LAL SARAF S/O SITA RAM SARAF



URBAN IMPROVEMENT TRUST SIKAR



KEY-PLAN Not To Scale

AREA ANALYSIS

S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%
1.	RESIDENTIAL	11458.44	66.46%
2.	INFORMAL COMMERCIAL	0307.81	01.79%
3.	MOBILE TOWER	0020.00	00.12%
4.	AREA SURR. IN 18.00 M. ROAD	0510.99	02.96%
5.	ROAD	4942.77	28.67 %
TOTAL		17240.00	100.00 %

SCHEME PLOTS DETAIL

S.N.	PARTICULARS	NO.
1.	RESIDENTIAL PLOTS	82
2.	INFORMAL COMMERCIAL	10
3.	MOBILE TOWER	1

-----	SCHEME BOUNDARY
-----	KHASRA LINE
-----	PLOT BOUNDARY
-----	SURR. AREA IN 18.00 METER ROAD

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER
SCALE-1 C.M. =7.0 MTR



GOOGLE EARTH MAP

MASTER PLAN MAP

TOTAL AREA IN KH. NO. 899/649 = 6000.00 SQ. MTR
TOTAL AREA IN KH. NO. 901/649 = 5040.00 SQ. MTR
TOTAL AREA IN KH. NO. 903/648 = 6200.00 SQ. MTR
TOTAL AREA FOR CONVERSION = 17240.00 SQ. MTR

श्रीमान श्रीमान
इस ले आउट प्लान में
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
योजना क्षेत्र-डा रावल नम्रो
ले गिरान डिग्न कर ले
अनुसूच
29.11.2024
22.01.24

योजना का नाम VIKAS NAGAR AAWASIYA YOJANA
आज दिनांक 29.11.24 को लेआउट प्लान कमेटी
द्वारा सर्वसम्पति से अनुमोदित किया गया।

29/11/24
उप जगर नियोजक
नगर सुधार न्याया
सीकर

29/11/24
वी.एस. शर्मा
अधिसायी अधिकार
न.स. न्याय, सीकर

29.11.2024
नगर विकास न्याया, सीकर